झारखण्ड ट्राईबल डेवलपमेंट सोसाईटी

(अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की इकाई)

प्रथम तल, कल्याण कॉमप्लेक्स (प्रशिक्षण केन्द्र), बलीहार रोड, मोराबादी, राँची।
दूरभाष संख्या– 0651–3501613

झारखण्ड ट्राईबल डेवलपमेंट सोसाईटी (JTDS) के निदेशक मंडल की दिनांक 13/06/2022 को 04.30 बजे अपराहन् में सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग –सह– अध्यक्ष, JTDS की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थितिः–

1. श्री कमल किशोर सोन, भा0प्र0से0, सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार –सह– अध्यक्ष, जे॰टी॰डी॰एस॰।
2. श्री नेसार अहमद, विशेष सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार।
3. श्री राहुल सिन्हा, भा0प्र0से0, आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड सरकार।
4. श्री अरवा राजकमल, भा0प्र0से0, उपायुक्त, सरायकेला–खरसावाँ।
5. श्री अनन्य मित्तल, भा0प्र0से0, उपायुक्त, पष्चिमी सिंहभूम।
6. श्री अबु इमरान, भा0प्र0से0, उपायुक्त, लातेहार।
7. श्री भोर सिह यादव, भा0प्र0से0, उपायुक्त, गोड्डा।
8. श्री सुशांत सौरभ, भा0प्र0से0, उपायुक्त, गुमला।
9. श्री रणेन्द्र कुमार, भा0प्र0से0 (सेवानिवृत), निदेशक, डा0 रामदयाल मुण्डा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, राँची।
10. श्री भीष्म कुमार, भा0प्र0से0, राज्य परियोजना निदेषक, झारखण्ड ट्राईबल डेवलपमेंट सोसाईटी, –सह– सदस्य सचिव।
11. श्री मुकेश कुमार सिन्हा, उप निदेशक, कृषि विभाग, झारखण्ड सरकार।
12. श्री परमेश्वर उराँव, अध्यक्ष, ग्राम सभा कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति, ग्राम– कचमची, प्रखण्ड – भंडरा, जिला– लोहरदगा (जनजातीय सदस्य)।
13. श्रीमती शान्ति टोप्पो, अध्यक्ष, सुमन महिला मंडल, ग्राम– कचमची, प्रखण्ड – भंडरा, जिला– लोहरदगा (जनजातीय सदस्य)।
14. श्रीमती मीणा उराँव, सचिव, माँ सरना महिला मंडल, ग्राम– भीट्ठा, प्रखण्ड – भंडरा, जिला– लोहरदगा (जनजातीय सदस्य)।

- (क्रम संख्या 04 से 08 तक के सदस्यों द्वारा Video Conferencing के माध्यम से बैठक में भाग लिया गया)

बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग –सह– अध्यक्ष, जे॰टी॰डी॰एस॰ द्वारा बैठक की कार्रवाई प्रारंभ करने का निदेश राज्य परियोजना निदेशक को दिया गया।

<u>प्रस्ताव एवं चर्चा उपरांत निर्णय</u> :–

एजेंडा संख्या	प्रस्ताव	निर्णय
1.	वित्तीय वर्ष 2022–23 का वार्षिक कार्य योजना एवं बजट की स्वीकृति देने के संबंध में।	1. IFAD से प्राप्त सहमति के आलोक में अप्रैल 2022 से जून, 2022 तक के AWP&B को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया। 2. जुलाई, 2022 से मार्च, 2023 के AWP&B पर विस्तृत चर्चा के उपरांत यह निर्णय लिया गया कि JTDS के पास उपलबध संसाधन को ध्यान में रखते हुए वार्षिक कार्य योजना एवं बजट तैयार किया जाय। निदेशक मंडल द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर ही वार्षिक कार्य योजना एवं बजट को Re-appropriate किया जाय।
2.	वित्तीय वर्ष 2021–22 का वार्षिक कार्य योजना एवं बजट (Re-appropriate) एवं Revised Procurement Plan पर घटनोत्तर स्वीकृति एवं वर्ष 2021–22 की प्रगति की समीक्षा।	IFAD से प्राप्त सहमति के आलोक में निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 का वार्षिक कार्य योजना एवं बजट (Re-appropriated) एवं Revised Procurement plan पर निदेशक मंडल द्वारा सर्वसम्मति से घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।
3.	बैंक से प्राप्त ब्याज की राशि को वेतन मद में खर्च करने की स्वीकृति देने के संबंध में।	निदेशक मंडल द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पर सशर्त स्वीकृति प्रदान की गई। निदेशक मंडल द्वारा निर्णय लिया गया कि "Eligible expenditure" पर IFAD से पत्राचार किया जाय। IFAD, ब्याज की राशि को अगर "Eligible expenditure" के अंतर्गत अपनी सहमति देती है तो ब्याज की राशि को वेतन मद में खर्च किया जाय। IFAD से पत्राचार हेतु राज्य परियोजना निदेशक, JTDS को अधिकृत किया गया ।

4.	जिला गोड्डा के GSPEC द्वारा GSPEC खाता से राशि रू. 49,500/– की निकासी करने के बाद उस राशि को जमा करने पर असमर्थता की स्थिति में उक्त राशि को Write off (खारिज/निरस्त) करने के संबंध में।	गोड्डा जिला के GSPEC बड़ा केरलो द्वारा GSPEC खाते से 49500.00 रूपयकी निकासी कर ले जाने क्रम में राशि को लुटेरे द्वारा लूट लिया गया, जिस कारण समायोजन करने में GSPEC द्वारा असमर्थता जतायी गई है। उक्त मामले में GSPEC द्वारा FIR दर्ज कराया गया है, जिसपर अनुसंधान के उपरांत आरोप पत्र भी दायर किया गया है। निदेशक मंडल द्वारा उक्त राशि को Write off (खारिज/निरस्त) करने पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई।
5.	श्री मनोज सिन्हा, पूर्व अपर परियोजना निदेशक (अवकाश पर) की सेवा समाप्त करने के संबंध में।	इस विषय पर निदेशक मंडल द्वारा निर्णय लिया गया कि मामले में अग्रेत्तर कार्रवाई से पूर्व legal Opinion लेने एवं श्री मनोज सिन्हा को अखबार के माध्यम से अंतिम स्मार हेतु राज्य परियोजना निदेशक, JTDS को अधिकृत किया गया। यह कार्य एक माह के अंदर पूर्ण कर लिया जाय।
6.	अन्य बिन्दु अध्यक्ष की सहमति से। (क) JTDS में कार्यरत कर्मियों को उनके Earn Leave (EL) एवं Gratuity की राशि Consolidated salary (Gross Salary) पर देने हेतु अनुशंसा की जा सकती है।	Consolidated salary पर Earn Leave एवं Gratuity encashment के मामले में अध्यक्ष, निदेशक मंडल द्वारा सुझाव दिया गया कि परियोजना द्वारा किए गये कार्य की Sustainability को ध्यान में रखते हुए अगले कुछ समय तक Handholding की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में JTDS कर्मियों के Earn Leave एवं Gratuity भुगतान के संबंध में IFAD से पत्राचार किया जाय। तत्पश्चात् Consolidated salary पर Earn Leave एवं Gratuity का भुगतान IFAD से प्राप्त निदेश के आलोक में भुगतान करने का निर्णय लिया गया।
	(ख) JTDS के अंतर्गत कार्यरत कर्मियों का वार्षिक वेतन बढ़ोतरी 5% से बढ़ाकर 10% करने के संबंध में।	वेतन वृद्धि तथा JTDS HR Rules/ Manual पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्णय लिया गया।
	(ग) JTDS के वर्त्तमान कर्मियों के सेवा अवधि का विस्तार अगले तीन वर्षों तक के लिए करने के संबंध में।	JTDS के वर्त्तमान कर्मियों की सेवा अवधि का विस्तार अगले एक वर्ष तक करने की स्वीकृति निदेशक मंडल द्वारा सर्वसम्मति से प्रदान की गई।

	अन्यान्य – (1) राज्य परियोजना निदेशक, JTDS द्वारा निदेशक मंडल को यह प्रस्ताव दिया गया कि BoD की बैठक बार–बार करना संभव नहीं हो पाता है, ऐसी स्थिति में अध्यक्ष, निदेशक मंडल, JTDS को कई बिन्दुओं एवं विषयों पर JTDS के हित में फैसला लेने हेतु अधिकृत किया जाय। इस पर निदेशक मंडल द्वारा सहमति दी गई। (2) अध्यक्ष, निदेशक मंडल, JTDS द्वारा निदेशित किया गया कि JTDS के वर्त्तमान Link/ Community Connect का पूरा उपयोग किया जाय। राज्य तथा केन्द्र सरकार की लाभकारी योजनाएं यथा मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना इत्यदि का वृहत लाभ JTDS के लाभुकों को अभिसरण के माध्यम से पहुँचाना सुनिश्चित किया जाय।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई।

20/6/2022

(भीष्म कुमार)
सदस्य सचिव, जे.टी.डी.एस. निदेशक मंडल
–सह–
राज्य परियोजना निदेशक

20/06/2022

(कमल किशोर सोन)
अध्यक्ष, जे.टी.डी.एस. निदेशक मंडल
–सह–
सरकार के सचिव

ज्ञापांक JTDS/839/2022/2417 राँची, दिनांक 20/06/2022

प्रतिलिपि : सभी माननीय सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20/6/2022

(भीष्म कुमार)
सदस्य सचिव, जे.टी.डी.एस. निदेशक मंडल
–सह–
राज्य परियोजना निदेशक